भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1362

उत्तर देने की तारीख 01.07.2019

असम की अनुसूचित जनजाति संबंधी सूची

†1362. श्री अब्दुल खालेकः

श्री नव कुमार सरनीया:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णय करके इसकी सारी तैयारियां कर ली हैं जिनमें कोच-राजबंशी , आदिवासी, ताई-आहोम, सूतिया, मोरन, मटक और (चाय की खेती करने वाली जनजातियां) शामिल हैं और इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब तक प्रदान कर दिया जाएगा और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उक्त सभी छह समुदाय इसके सभी मानदंडों को पूरा नहीं करते और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ख) : भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (दिनांक 25.06.2002 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन , से अपवर्जन हेतु दावे निर्धारित करने तथा अन्य संशोधनों के लिए प्रविधियां अनुमोदित की हैं | इन प्रविधियों के अनुसार केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिसपर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सहमति प्राप्त हो |

प्रस्तावों पर इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार सारी कार्रवाई की जाती है।

*****